राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

क्रमांक प. 7(139)वित्त/कर/2012 जयपुर दिनांक : 12/5/17

आदेश

कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3)कार्मिक/क-2/08 दिनांक 11.09.2011 की अनुपालना में राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा नियम, 1971 (समय-समय पर संशोधित) के अंतर्गत राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा के वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद की वर्ष 2011-12 की पुनरावलोकन विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 09.11.2012, 23.11.2012 एवं 23.02.2013 को आयोजित की गई।

पुनरावलोकन विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा श्री सांवरमल, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी को वर्ष 2005 एसीबी प्रकरण संख्या 228/05 के प्रकरण में कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 30.12.2005 के द्वारा निलम्बित किए जाने एवं आदेश दिनांक 15.02.2007 के द्वारा अभियोजन स्वीकृति जारी किये जाने तथा आदेश दिनांक 10.02.2012 के द्वारा निलम्बन से बहाल किया जाकर प्रकरण न्यायालय में लम्बित होने के कारण इनकी पदोन्नति के संबंध में लिफाफा बन्द रखते हुए इनके लिए एक पद (वर्ष 2011-12 हेतु) आरक्षित रखे जाने का निर्णय लिया गया था।

कार्मिक विभाग ने श्री सांवरमल मील के संबंध में आदेश संख्या 2(2)(68)कार्मिक/क-3/शिका/05 दिनांक 17.03.2017 जारी कर लेख किया है कि श्री सांवरमल मील को माननीय सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रकरण, श्रीगंगानगर (राजस्थान) द्वारा उनके निर्णय दिनांक 16.07.2016 द्वारा संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त पाया गया है। राज्य सरकार द्वारा माननीय न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील नहीं करने का निर्णय लिया गया है। अतः राज्य सरकार श्री सांवरमल मील, तत्कालीन सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी (उडनदस्ता), श्रीगंगानगर की निलम्बन अवधि को सम्पूर्ण प्रयोजनार्थ सेवाकाल माने जाने एवं निलम्बन काल में दिए गए निवार्ह भत्ते के अलावा अन्य कोई वेतन भत्ते नहीं दिए जाने के आदेश पारित किए।

कार्मिक विभाग के उक्त आदेश दिनांक 17.03.2017 में श्री सांवरमल को आरोपों से दोषमुक्त किया गया है, जिसके फलस्वरूप विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर श्री सांवरमल नियमानुसार पदोन्नति के पात्र है।

अतः राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा नियम, 1971 (समय-समय पर संशोधित) के अंतर्गत राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा के वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद की वर्ष 2011-12 की रिक्तियों के विरूद्ध श्री सांवरमल, स0वा0क0अ0 को वा0क0अ0 के पद पर पदोन्नति किया जाता है। श्री सांवरमल अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान पद पर इस पद को क्रमोन्नत मानते हुए कार्य करते रहेंगें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(शंकर लाल कुमावत)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदया।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
7. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
9. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) विभाग
10. संबंधित अधिकारी।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

E:\Chetwani Ji\Order_LTR_Hindi.docx38